826
01.12.2021

बिहार रारकार
बिहार कौशल विकास मिशन
श्रम संसाधन विभाग।

आदेश

राज्य सरकार के 07 निश्चयों में एक ''आर्थिक हल, युवाओं को बल'' के अधीन Kushal Yuwa Programme कार्यक्रम के संचालन हेतु कौशल प्रशिक्षण केन्द्रों के पंजीकरण की प्रकिया प्रारम्भ की गई थी, जिसके आधार पर प्रशिक्षण प्रदाता एजेन्सी SKILLZA GROWTH PVT. LTD. के द्वारा मधुबनी जिला में KYP Code 02020048 संचालित किये जाने हेतु पंजीकृत किया गया।

कालान्तर में AJANMA COMPUTERS PVT. LTD. के निदेशक श्री पप्पु कुमार शर्मा, पिता–श्री महेन्द्र शर्मा, जिला–मधुबनी के द्वारा एक आवेदन पत्र समर्पित किया गया, जिसमें उनके द्वारा उल्लेख किया गया कि KYP Code 02020048 का संचालन Franchisee Mode में किया जा रहा है। उनके द्वारा कुमारी काजल, निदेशक, SKILLZA GROWTH PVT. LTD. एवं AJANMA COMPUTERS PVT. LTD. के बीच एक हस्ताक्षरित एकरारनामा की प्रति भी समर्पित की गई, जिसमें 30:70 % के Revenue sharing का उल्लेख किया गया है। Franchisee Mode में केन्द्र नहीं चलाया जा सकता है। इससे संबंधित सूचना पूर्व में ही सभी केन्द्रों को दी जा चुकी है।

श्री पप्पु कुमार शर्मा से प्राप्त आवेदन के अलोक में बिहार कौशल विकास मिशन के पत्र संख्या–507, दिनांक–09.06.2020 के द्वारा SKILLZA GROWTH PVT. LTD. से स्पष्टीकरण की मांग की गई। पूछे गये स्पष्टीकरण के आलोक में काजल कुमारी द्वारा अपना स्पष्टीकरण बिहार कौशल विकास मिशन को समर्पित किया गया। अपने स्पष्टीकरण में उनके द्वारा उल्लेख किया गया है कि SKILLZA GROWTH PVT. LTD. के द्वारा किसी भी प्रकार का एकरारनामा नहीं किया गया।

उक्त मामले की जॉच बिहार कौशल विकास मिशन के पत्र संख्या–707, दिनांक–15.10.2020 द्वारा कराया गया। प्राप्त जांच प्रतिवेदन से वस्तुस्थिति निम्नवत् है।

1. केन्द्र संचालन के निमित रेंट एकरारनामा AJANMA COMPUTERS PVT. LTD. एवं श्री सत्य नारायण प्रसाद (मकान मालिक) के बीच किया गया है।
2. केन्द्र पर कार्यरत कर्मियों के वेतनादि का भुगतान AJANMA COMPUTERS PVT. LTD. (पप्पु शर्मा) के द्वारा किये जाने का उल्लेख किया गया है।

AJANMA COMPUTERS PVT. LTD. के निदेशक के श्री पप्पु शर्मा के द्वारा समर्पित एकरारनामा की प्रति से स्पष्ट होता है कि कौशल विकास केन्द्र KYP Code 02020048 का संचालन सीधे तौर पर SKILLZA GROWTH PVT. LTD. द्वारा नही किया जा रहा है। अपितु उक्त केन्द्रों का संचालन Revenue sharing के आधार पर किया जा रहा है। Franchisee Mode में केन्द्र के संचालन से अनावश्यक रुप से केन्द्र को प्राप्त होने वाले राजस्व का बंटवारा होता है, जिससे केन्द्र में प्रशिक्षण की गुण्वत्ता प्रभावित होती है। SKILLZA GROWTH PVT. LTD. के द्वारा बिचौलिये की भूमिका निभायी जा रही है, जो कार्यक्रम की गुणवत्ता के लिये हानिकारक है।

उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के आलोक में कुशल युवा केन्द्र KYP Code 02020048 का स्वामित्व उसके वास्तविक संचालनकर्ता AJANMA COMPUTERS PVT. LTD. के निदेशक श्री पप्पु कुमार शर्मा, पिता–श्री महेन्द्र शर्मा, जिला–मधुबनी के नाम पर परिवर्तित करने का आदेश दिया जाता है। वे आदेश प्राप्ति के एक सप्ताह के अन्दर पोर्टल पर परिवर्तित किये जाने वाले सूचना यथा–Organisation Name, Centre Name, Owner Name, Pan detail of Owner, Bank account of Owner, email id & Mobile number of Owner की विवरणी बिहार कौशल विकास मिशन में जमा करना सुनिश्चित करें, ताकि बिहार कौशल विकास मिशन के पोर्टल पर तद्नुकूल संशोधन/परिवर्तन किया जा सके।

प्रस्ताव में सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

1/12/21

(आलोक कुमार)
सरकार के विशेष सचिव
श्रम संसाधन विभाग, बिहार।

ज्ञापांक– BSDM/SDM-48/2019 (खण्ड-क)-826 पटना, दिनांक– 01.12.2021

प्रतिलिपि– SKILLZA GROWTH PVT. LTD. को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

2. AJANMA COMPUTERS PVT. LTD. के निदेशक श्री पप्पु कुमार शर्मा, पिता–श्री महेन्द्र शर्मा, जिला–मधुबनी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
3. जिला नियोजन पदाधिकारी, मधुबनी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
4. मिशन निदेशक, बिहार कौशल विकास मिशन, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
5. Project Director, MKCL/Project Director, E&Y को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
6. मिशन प्रबंधक (वित एवं लेखा)/मिशन प्रबंधक (कार्यक्रम कियान्वयन)/मिशन प्रबंधक (समन्वय)/SPMU Inchrge मधुबनी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
7. जिला कौशल प्रबंधक, मधुबनी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

1/12/21

(आलोक कुमार)
सरकार के विशेष सचिव
श्रम संसाधन विभाग, बिहार।